प्रेस – नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 13-07-2021
हत्या के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी खजनी द्वारा थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 183/2021 धारा अंर्तगत , 302 भादवि से सम्वन्धित वाछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

थाना खजनी जनपद गोरखपुर पर दिनांक 01.07.2021 को गांव तालनवर कुडई माई के स्थान पर वादी की पत्नी भानमती को मार कर नदी में फेक दिया गया था जिसके सम्वन्ध मे वादी मुलधारी के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/2021 धारा 302 भादवि बनाम बाईस्तवाह 1.सोनमती पत्नी वकील 2. गोविन्द पुत्र भरोष निवासीगण जीतपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर के पंजीकृत किया गया था । जिसमे वादी द्वारा बताया गया था कि, वादी की छोटी बहु का अवैध सम्बन्ध गोविन्द पुत्र भरोष उपरोक्त से था, जिसका पता उसकी सास भानमती को चल गया था, लोक लाज की डर से गोविन्द द्वारा भानमती की हत्या कर दी गयी थी, उसकी लाश को आमी नदी के किनारे फेक दिया था, मुकदमा उपरोक्त मे वाछित अभियुक्त गोविन्द पुत्र भरोष निवासी जीतपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 13.07.2021 को बरडाड बाजार चौकी महुआडावर से कही भागने के फिराक मे था तो मुखविर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.गोविन्द पुत्र भरोष निवासी ग्राम जीतपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी –

1.आला कत्ल एक अदद फावडा का बेट

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 183/2021 धारा 302 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. प्र0नि0 अजय कुमार मौर्य
2. का0 अशोक चौधरी
3. कां0 अजय कुमार
4. म0का0 अमीषा सिंह